भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1416

उत्तर देने की तारीख: 11.02.2026

डीएनटी के लिए भूमि अधिकार

1416. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास ऐसी विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) को भूमि अधिकार एवं मालिकाना हक प्रदान करने हेतु कोई योजना अथवा नीति है, जो विगत 15-20 वर्षों से औपचारिक स्वामित्व अधिकारों के बिना उसी भूमि पर निवास कर रही हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में चिन्हित किए गए ऐसे भूमिहीन डीएनटी परिवारों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें भू-स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज जारी करने में की गई राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): मंत्रालय की ऐसी कोई योजना या नीति नहीं है।
